भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2526

15.12.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए धनराशि

2526. श्री के. गोपीनाथ :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने जलुवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पूँजी निवेश हेतु किसी विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का, विशेषकर जमीनी स्तर पर तमिलनाडु के गांवों और जिलों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए जलवायु संबंधी चिंताओं को एकीकृत करने का विचार है, यदि हाँ, तो उसकी समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्य में जलवायु सम्यक और पर्यावरण-अनुकूल विकास और सतत अवसंरचना में निवेश के लिए केंद्र सरकार ने कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में भीषण प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई अवसंरचना के पुनर्निर्माण हेतु 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25' के तहत 1126.08 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) प्रदान करने का अनुरोध किया था। प्रस्ताव और पात्रता की जांच के बाद, मार्च 2025 में तमिलनाडु राज्य सरकार को 1121.50 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित और जारी की गई थी।

(ग) और (घ) जमीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के उद्देश्य से, तमिलनाडु सरकार को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) के तहत दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृत राशि (करोड़ रु में)	कार्यकारी संस्था (ईई) को जारी धनराशि (करोड़ रु में)	कार्यकारी संस्था (ईई)	परियोजना की अवधि
1.	तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सतत आजीविका के लिए तटीय पर्यावासों और जैव विविधता का प्रबंधन और पुनर्वासन	24.74	23.03	पर्यावरण विभाग, तमिलनाडु सरकार	(अप्रैल 2016-अप्रैल 2020)
2.	तमिलनाडु के सलेम और विरुधुनगर जिलों में वर्षा आधारित वाटरशेड का जलवायु परिवर्तन से बचाव	23.80	11.52	तमिलनाडु वाटरशेड विकास एजेंसी	फरवरी 2019-मार्च 2026

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु संबंधी कार्य विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों में समाहित हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जलवायु से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक व्यापक कार्यढांचा प्रदान करती है और इसमें सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा दक्षता, संधारणीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, हरित भारत, संधारणीय कृषि, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। इन सभी मिशनों को उनके संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थागत रूप दिया गया है और कार्यान्वित किया गया है, जिसमें उनके वार्षिक बजट आवंटन के हिस्से के रूप में संगत स्कीमों के तहत धनराशि का आवंटन भी शामिल है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) का समर्थन कर रहा है। एसएपीसीसी का उद्देश्य यथोचित उपशमन और अनुकूलन संबंधी उपायों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना है। एसएपीसीसी का उद्देश्य प्रत्येक राज्य की विभिन्न पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संदर्भ-विशिष्ट होना है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता से संबंधित खतरों के संदर्भ में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) की निर्धारित आवंटित धनराशि के अंतर्गत सबसे अधिक सूखाग्रस्त 12 (बारह) राज्यों को तत्संबंधी उपायों के कार्यान्वयन में प्रगति लाने हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिनमें तमिलनाडु राज्य के रामंथपुरम, शिवगंगाई और विरुधुनगर जिले शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से क्षेत्र-विशिष्ट कृषि प्रणाली, सतही और भूजल प्रबंधन, कृषि-वानिकी स्कीमों आदि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

****